सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, RAJASTHAN
6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर–302004
6-B, JHALANA DOONGRI, JAIPUR-302004
दूरभाष/Phone : 0141- 2708078, 2709177 फैक्स/ Fax: 2707090
ई-मेल/ E-mail : dco-raj.rgi@censusindia.gov.in

भारत की जनगणना CENSUS OF INDIA 2021

150 YEARS OF CELEBRATING

भारत की जनगणना - 2021 परिपत्र – 7 परिशिष्ट (ADDENDUM)

प्रमुख जनगणना अधिकारी
(जिला कलक्टर एवं आयुक्त नगर निगम)
समस्त

विषय:-मकानसूचीकरण कार्य के लिए ग्राम, नगर और चार्ज रजिस्टर तैयार करना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय द्वारा दिनांक 20.02.2020 को जारी किए गए परिपत्र संख्या-7 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उसी परिपत्र की निरंतरता (अनुक्रम) में, यह परिशिष्ट(Addendum) जारी किया गया है जिसमें भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र-11 के परिशिष्ट दिनांक 26.09.2020 के निर्देशानुसार मकान सूचीकरण और मकानों की गणना-2021 के चार्ज रजिस्टर में स्थान / मोहल्लों/ कॉलोनियों के नाम चार्ज रजिस्टर में प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक के सामने दर्ज करने के निर्देशों का उल्लेख यहाँ किया गया हैं|

2. मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए चार्ज रजिस्टर, प्रत्येक चार्ज अधिकारी द्वारा अपने चार्ज के लिए तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। इसके अतिरिक्त मकानसूचीकरण ब्लॉक वार अलग-अलग बुनियादी जानकारी के साथ इसमें ब्लॉक की सीमाओं का वर्णन करने का प्रावधान है। हालांकि, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पहचान करने के लिए स्थान / मोहल्लों/ कॉलोनियों के नाम का बहुत महत्व है ,ताकि प्रगणक को मकान सूचीकरण ब्लॉकों को आसानी से पहचानने में सुविधा हो तथा कोई भी क्षेत्र जो कवर नहीं हुआ,आदि की किसी भी प्रकार की शिकायतों का निस्तारण किया जा सके। चार्ज कार्यालय में ग्रामीण और शहंरी दोनों क्षेत्रों के चार्ज रजिस्टरों में स्थान /मोहल्लों तथा कॉलोनियों के नाम अलग-अलग सीमाओं के साथ दर्ज किया जाना उचित है।

3. जैसा कि चार्ज रजिस्टर में स्थान/मोहल्लो/कॉलोनियों के नाम लिखने के लिए कोई विशिष्ट कॉलम नहीं है, इसलिए इन नामों की प्रविष्टि प्रत्येक मकानसूचीकरण ब्लॉक (HLB) के सामने चार्ज रजिस्टर के टिप्पणी (कॉलम संख्या-18) कॉलम में की जा सकती है। एक स्थान/मोहल्ला /कालोनी में पड़ने वाले कई ब्लॉको के मामलों में ,सभी ब्लॉको के सामने एक ही नाम दर्ज किया जा सकता है,यदि प्रत्येक मकानसूचीकरण ब्लॉक के सामने उप-स्थानीय नाम का उल्लेख करना संभव नहीं है तो। उदाहरण के लिए, यदि एक इलाके में विभिन्न नामों के टावर है, तो स्थानीय नामों के अलावा टावर का नाम मकानसूचीकरण ब्लॉक के सामने लिखा जा सकता है।

4. अंत: आपसे अनुरोध है कि चार्ज रजिस्टर के कॉलम-18 (टिप्पणियाँ) में दिये गए निर्देशों अनुसार स्थान/मोहल्लो/कॉलोनियों के नाम दर्ज करवाने कि पालना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by SANWAR MAL VERMA
Date: 2020.10.28 11:25:43 IST
(साँवर मल वर्मा)
निदेशक

प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त ,प्रथम तल,एनडीसीसी बिल्डिंग –II,जयसिंह रोड नई दिल्ली-110001
2. उप महा रजिस्ट्रार (सी एंड टी) ,प्रथम तल,एनडीसीसी विल्डिंग –II,जयसिंह रोड नई दिल्ली-110001
3. मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान सरकार ,जयपुर
4. प्रमुख शासन सचिव (आयोजना) एवं राज्य समन्वयक जनगणना -2021
5. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,आर्थिक एवं सांखिकीय विभाग एवं नोडल अधिकारी जनगणना -2021, योजना भवन जयपुर
6. समस्त संभागीय जनगणना अधिकारी (संभागीय आयुक्त)
7. समस्त जिला जनगणना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर)
8. समस्त उप जिला जनगणना अधिकारी (उप निदेशक /सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांखिकीय विभाग)
9. समस्त उपखंड जनगणना अधिकारी (उपखंड अधिकारी)
10. समस्त तहसील जनगणना अधिकारी (तहसीलदार)
11. समस्त नगर जनगणना अधिकारी (आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी)
12. निजी सहायक , निदेशक महोदय
13. समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक,जनगणना कार्य निदेशालय,राजस्थान
14. श्री लोकेश जैन डीपीए ग्रेड-A को निदेशालय की वेब साईट पर उपलोड करने हेतु
15. गार्ड फाइल

(अविनाश शर्मा)
उप निदेशक